सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

7 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 986 राँची, गुरुवार, 28 नवम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

20 नवम्बर 2019

संख्या- 5/आरोप-1-76/2016 का०- 9217-- श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1041/रा०, दिनांक-18.03.2015 द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के परन्तुक-II का दुरूपयोग कर ऐसे मामले जिनमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के substantial structure नहीं थे एवं 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिये बिना समुचित जाँच किये आदिवासी भूमि हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित कर देने संबंधी गंभीर आरोप प्रतिवेदित किया गया।

2. उक्त आरोपों के लिए श्री टोप्पो को विभागीय आदेश सं०-4766, दिनांक 29.05.2015 द्वारा असैनिक सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1930 के नियम-49(क)(1)(ख) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया तथा इनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया।

3. निलंबन आदेश के विरूद्ध श्री टोप्पो द्वारा माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में W.P.(S) No. 1753/2016 दायर की गयी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"Leaving the allegations in the counter affidavit aside, the respondent no.-2 the Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Government of Jharkhand is directed to conclude the departmental proceeding within one month, failing which the impugned order dated 29.05.2015 would stand revoked. It is made clear that if reply to the second show cause notice by the petitioner is not received within next 15 days, disciplinary authority shall be at liberty to pass final order.

The writ petition stands disposed of."

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संबंधित मामले में विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची, सम्प्रति-निलंबित को दिनांक 01.10.2017 की तिथि से निलम्बन मुक्त किया जाता है। साथ ही, उनको आदेश दिया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित करना सुनिश्चत करें।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 986 -- 50